बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No 3963 of 2015 में पारित न्याय के आलोक में दाखिल आवेदन का निष्पादन

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No 3963 of 2015 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में कतिपय वाहन फिटनेस सेंटर अनुगप्तिधारकों द्वारा दाखिल आवेदन पर विचार करने के क्रम में दिनांक 14.03.2016 को उक्त आवेदन दाखिल करने वाले आवेदकों एवं उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सुनवाई की गई।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No 3963 of 2015 के मामले में दिनांक 17.12.2015 कों पारित न्याय निर्णय निम्न है :

"At the out set itself, learned Senior counsel Mr. Rajendra Prasad Singh appearing for the petitioners, submits that directions have already been issued by the State Transport Commissioner, Bihar, Patna to the Joint Commissioner-cum-Secretary cum Regional Transport Authority, Munger in terms of letter No. 4296 dated 31.08.2015 for renewal of licence relating to the Fitness Testing Centre of the petitioner no. 3. It is stated that the remaining petitioners have no objection if their cases are also considered and disposed of in the light of the aforesaid directions vide letter no. 31.08.2015.

In the above view of the matter, the writ petition is disposed of, granting liberty to the petitioners (except petitioner no. 3) to approach the Principal Secretary-cum-State Transport Commissioner, Department of Transport, Govt. of Bihar, Patna (Respondent No. 2) with a fresh representation for redressal of his grievances within a period of two weeks from today. If such a representation is filed, the same shall be considered and disposed of on its own merits in accordance with law expeditiously and preferably within six weeks from the date of the representation being filed.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the claim of the petitioners."

3. उक्त न्याय निर्णय के आलोक में दाखिल आवेदन के निष्पदान के कम में दिनांक 31.08.2015 को जारी पत्रांक 4296 की मूल संचिका 06/विविध (फिटनेस परिवाद) 12/2015 का अवलोकन किया गया। दस्तावेज की समीक्षा के कम में पाया गया कि विभागीय पत्रांक 06/विविध (फिटनेस परिवाद) 12/2015 4296 दिनांक 30.08.2015 को निर्गत किया गया, साथ ही यह भी पाया गया, कि उक्त पत्रांक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्व नहीं लाया गया था और न ही CWJC No 3963 of 2015 के मामले में दाखिल प्रतिशपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित है।

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक दिनांक 31.08.2015 द्वारा संयुक्त आयुक्त–सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर को निम्न निदेश दिए गए है :

"श्री राजेश कुमार अगवाल के द्वारा प्राप्त आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदक द्वारा अपने प्राधिकार पत्र संख्या–01/2009 के नवीकरण हेतु प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदक पत्र ससमय जमा करने के बाद भी अभी तक आपके स्तर से उक्त प्राधिकार पत्र का नवीकरण नहीं किया गया है। चूँकि प्राधिकार पत्र

की वैधता 30.12.2014 थी। इसलिए उक्त प्राधिकार क्षेत्र विभागीय अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 06.02.2015 द्वारा निर्गत आदेश से आच्छादित नहीं है।"

5. विभागीय अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 06.02.2015 के कंडिका (ख) के द्वारा निम्न निदेश दिए गए है :

"निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत **वैसे प्राधिकार पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा**, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा भविष्य में समाप्त होगी अथवा **जिसके नवीकरण का प्रस्ताव पूर्व से लंबित हो।** ऐसे प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में जमा राशि/बैंक ड्राफ/राष्ट्रीय बचत पत्र प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।"

6. स्पष्ट है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 06.02.2015 के कंडिका (ख) के द्वारा यह अधिसूचित किया गया था, कि निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत वैसे प्राधिकार पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा, जिसके नवीकरण का प्रस्ताव पूर्व से लंबित हो। वर्त्तमान मामले में श्री राजेश कुमार द्वारा संचालित वाहन फिटनेस जांच केन्द्र, विश्वकर्मा सर्विस बेगूसराय, के प्राधिकार पत्र संख्या–01/2009 का नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ससमय जमा था परन्तु इसका नवीकरण नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है, कि नवीकरण का प्रस्ताव पूर्व से लंबित था। उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 06.02.2015 के आलोक में इसका नवीकरण नहीं किया जाना था, फिर भी राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना के पत्रांक 4296 दिनांक 30.08.2015 के द्वारा विश्वकर्मा सर्विस बेगूसराय लंबित नवीकरण के आवेदन को शीघ्र नवीकरण करने का निदेश दिया गया, जो उक्त अधिसूचना में दिए गए निदेश के विपरित हैं।

7. वर्णित संदर्भ में सम्पूर्ण विचारोपरांत उक्त सभी आवेदनों का निष्पादन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं :

(क) विभागीय अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 06.02.2015 के आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 4296 दिनांक 30.08.2015 को निरस्त किया जाता है।

(ख) सभी लंबित आवेदन इसी आदेश के आलोक में निष्पादित किये जाते हैं।

(ग) विभागीय पत्रांक 4296 दिनांक 30.08.2015 के निर्गत करने से संबंधित सभी कर्मचारी/पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

उपरोक्त की सूचना सभी संबंधित को दे दी जाय।

13-4-16

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव (प्रभारी)
परिवहन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/कोर्ट–04/2015– 1852 पटना, दिनांक– 13/4/16

प्रतिलिपिः–सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–06/कोर्ट–04/2015– 1852 पटना, दिनांक– 13/4/16

प्रतिलिपिः– श्रीमति सीमा सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय आनंदपुरी, एच0एन0 नं0–बी0/158 बोरिंग कैनाल रोड, पटना/संजीव कुमार, वाहन फिटनेश सेंटर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर/उपेन्द्र कुमार शर्मा, नारायणी फिटनेश सेंटर, पहाडी, गांधी सेतु पथ, पटना/राजेश कुमार अग्रवाल, विश्वकर्मा सर्विस, संसारपुर, खगडिया/ईरशाद अली खान, सिवान मोटर व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन, स्टेशन रोड, सिवान रेलवे स्टेशन के सामने/राजेश राय, श्रीराम फिटनेश सेंटर, सरस्वती नगर, सरिसमा रोड, बेतिया/कौशल किशोर पांडे, वाहन फिटनेश जॉच केंद्र, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर/बिमल बिहारी शरण, शरण ऑटो मोबाईल्स, शगुना मोड, खगौल रोड, दानापुर, पटना/त्रियोगी नाथ तिवारी, एस0एण्ड टी0 फिटनेश सेंटर, इंदिरा गांधी राजमार्ग, गांधी सेतु रोड, पटना/अमित कुमार वर्मा, सिटी फिटनेश टेस्टिंग स्टेशन, एन0एच0–30, न्यू बाई पास रोड, करमलीचक, पटनासिटी, पटना/अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह फिटनेश सेंटर, डिलाही, बिसनपुर, दरभंगा/राजेश कुमार, राज फिटनेश एण्ड पौल्युसन टेस्टिंग स्टेशन, एन0एच–80, साफियाबाद, मुंगेर/धीरज कुमार, धीरज टेस्टिंग स्टेशन, मदायिनी, ओल्ड जी0टी0 रोड, सासाराम/प्रभु नाथ सिंह, प्रभु नाथ सिंह टेस्टिंग स्टेशन, न्यु जीरो माईल, अहियापुर, मुजफ्फरपुर/नरेन्द्र राय, सरस्वती फिटनेश सेंटर, बेगुसराय/अजय कुमार सिंह, जय हनुमान फिटनेश सेंटर, ,खबडा, मुजफ्फरपुर/इन्द्रदेव नारायण, नारायण वाहन फिटनेश सेन्टर, मुजफ्फरपुर/शैलेन्द्र प्रताप सिंह, साहाबाद फिटनेश टेस्टिंग स्टेशन, कुलहड़िया, भोजपुर (आरा)/मो0 शोयेब, कोशि वाहन फिटनेश सेन्टर, एन0एच0 107, सहरसा/चंदन कुमार, सुधाकांत इंटरप्राईजेज प्रा0लि0, विशनपुर, मुसरीघरारी, समस्तीपुर/पार्थ कुमार यादव, दानी मौर्यध्वज वाहन जॉच केन्द्र, एन0एच0–19 राजोचपरी, छपरा/ धीरज कुमार सिंह, गरिमा मोटर्स व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन एन0एच0–28 गोपालगंज/पवन कुमार झा, समस्तीपुर फिटनेश सेन्टर, हरपुर एलौथ इंडस्ट्रीयल एरिया, एन0एच0–103 समस्तीपुर/अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, महारानी ऑटो फिटनेश सेन्टर, निहालपुर, बेलागंज, गया/साकेत कुमार, शिवम ऑटो मोबाईल फिटनेश सेन्टर, रसलपुर चंदौती, गया पटना रोड गया/ राकेश रंजन, कुमार एजेंसी बरियारपुर, मोतिहारी(पूर्वी चम्पारण)/ राहुल कुमार पूर्वे, मिथिलंचल फ्युल्स, मधुवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।